चीजों पर विचार हो रहा है और यह सब कुछ quietly हो रहा है। महोदय, पिछले एक महीने से सदन चल रहा था किन्तु सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। 18 तारीख को लोक सभा sine die हुई और उसी दिन रक्षा मंत्री का यह बयान आता है कि 30,000 soldiers वापस लिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आइंदा और भी कुछ soldiers वापस लिए जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शांति बहाल हो चुकी है, क्या आतंकवाद रुक चुका है, क्या अलगावादी ताकतें चुप हो गई हैं, शंात हो गई हैं, क्या वे अलगाववाद की भावना छोड़कर भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर के अंदर भारतीय स्वायत्तता को मानते हुए सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं? इसी बीच वहां के मुख्य मंत्री का बयान आया कि कुछ लोग भारतीय संविधान के खिलाफ हैं। 60 फीसदी वोट क्या है और 60 फीसदी में भी ऐसा नहीं है कि लोग भारत के खिलाफ हैं। महोदय, मेरा यह कहना है कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले सदन को विश्वास में ले, ऐसा न हो कि बजट सेशन आने से पहले आप कोई बड़ी घोषणा कर दें।

श्री कृष्ण लाल बाल्मीकि (राजस्थान): महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। श्री रघूनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी एसोसिएट करता हूं।

Gang rape of a school girl in Kanpur

डा. प्रभा ठाक्र (राजस्थान): सर, अभी हाल में दो-तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का हादसा हुआ है। मैं खुद भी उस समय वहां लड़की को हॉस्पिटल देखने गई थी। मेरे साथ वहां की पी.सी.सी. अध्यक्ष रीता बहुगुणा जी भी थी। सर, अफसोस और दुख की बात यह है कि वहां की पुलिस मामले को दबाने में लगी हुई है। उस लड़की के मां-बाप परेशान हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं। उन्होंने यह बताया कि अब हम कैसे कहें और कैसे बोलें कि हमारे ऊपर कई तरह का दबाव है और उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा है। वहां अस्पताल में चार-चार जूनियर डॉक्टर्स थे, जिनसे हमने पूछा कि इस लड़की का किस बात के लिए इलाज किया जा रहा है। लेकिन कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी, सब डॉक्टर्स कह रहे थे कि सीनियर्स को मालूम है। जब उनसे कहा कि आखिर इसको ट्रीटमेंट किस बात का दिया जा रहा है, तो वह बिल्कुल यह बतलाने के लिए तैयार नहीं हैं कि उसको किस चीज का इलाज किया जा रहा है, बल्कि हमारे देखने के बाद उस लड़की को आई.सी.यू. में शिफ्ट कर दिया गया। महोदय, आज महिला मुख्य मंत्री के राज्य में जिस तरह उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों में इतनी वृद्धि हुई है कि पूरे देश भर में जितनी महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, उसमें 50 फीसदी से ज्यादा केवल उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इस मामले में डाक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट से पहले डी.आई.जी. का स्टेटमेंट आता है कि रेप नहीं हुआ है। मतलब, मेडिकल जांच रिपोर्ट से पहले ही उनका वक्तव्य आ रहा है। इस प्रकार पुलिस और प्रशासन पर दबाव है, डॉक्टर्स पर दबाव है। सर, ऐसी स्थिति में हमें पूरा अंदेशा है कि लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं। हमारी मांग है कि डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से निष्पक्ष हो, लड़की को न्याय मिले, इसलिए में आपके माध्यम से पूरे सदन के ध्यान में और सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि इस बात की पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि उस लड़की को अन्याय न मिले, एक तो उसके साथ रेप हुआ है, बदनामी हुई है और उसकी जीवन खराब हुआ है और मामले को दबा करके उसको दोहरा दण्ड न मिले, इसके लिए में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं।

SHRI \lor . HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the concern expressed by the hon. Member.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (Himachal Pradesh): Sir, I associate myself with the concern expressed by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the concern expressed by the hon. Member.

ANNOUNCEMENT BY CHAIR

Welcome to Parliamentary Delegation from Thailand

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have an announcement to make. We have with us, seated in the special box, members of a parliamentary delegation from Thailand, currently on a visit to our country under the distinguished leadership of his Excellency Mr. Chai Chidchob, President of the National Assembly and Speaker of the House of Representatives of Thailand. On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a hearty welcome to the Leader and other Members of the delegation and wish our distinguished guests an enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn more about our Parliamentary system, our country and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Thailand. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Thailand.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION (contd.)

Ruchika's sexual harassment case

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I would like to draw the attention of the House to a most shocking case, the Ruchika case which all our hon. Members may have read in the papers today. The reason I raised it, Sir, is because it reveals the deep infirmities in our systems of delivery of justice. The sickness in the system in which a custodial crime and the criminal who committed that crime in Police uniform escaped justice for 19 years was rewarded with promotion after promotion while the young girl, the fourteen year old child – I would call here was so traumatised because once she reported the sexual harassment case against her, not only was she harassed by the Police Officer but her brother had false cases foisted on him. He was taken to the *thana*. He was beaten mercilessly, as a result of which that young girl felt so helpless and so traumatised that she committed suicide. Ninteen years later, this criminal has finally been found guilty but what has he got as punishment? Just six months imprisonment.

And, the day he was convicted, he was out on bail within 10 minutes! Is it not shame for all of us? I want to state that it is not anybody else but a very sensitive family – Anand and Madhu Prakash and their brave daughter Aradhna who were friends of the victim – stood 19 years as witness in this case. They refused to be cowed down. As a result of which the criminal has, at last, been found to be guilty. My point is, how long are we going to tolerate these kinds of cases in which our young girls